



HAMIRPUR POLICE

थाना मझगवां

दिनांक 26.05.2023

सोशल मीडिया पर अवैध असलहा के साथ फोटो वायरल डालने वाला

अभियुक्त अवैध तमंचा/कारतूस सहित गिरफ्तार:-

जनपद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 25-26.05.2023 की रात्रि को थाना मझगवां पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त की तमंचे के साथ वायरल फोटो एवं उसकी सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मझगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त रामबरन सिंह पुत्र हरी सिंह लोधी निवासी ग्राम नौरंगा थाना मझगवां जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 42 वर्ष) के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-108/23 धारा-3/25 आयुध अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1) मु0अ0सं0-127/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम
- 2) मु0अ0सं0-39/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम
- 3) मु0अ0सं0-115/07 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम
- 4) मु0अ0सं0-108/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1) उ0नि0 तौफीक अहमद
- 2) कां0 रविन्द्र पंथ
- 3) हो0गा0 राजेन्द्र कुमार

